न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2023 (2023/)

1. गोपाल पुत्र लादू धोबी
2. धन्ना पुत्र लादू धोबी
3. दुर्गालाल पुत्र बद्री धोबी
4. कानाराम पुत्र बद्री धोबी

निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. मूलचन्द पुत्र बलदेव कुमावत जाति कुमावत निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर
2. माया पत्नि श्योराज धोबी जाति धोबी निवासी अलाम्बू तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. कैलाश पुत्र भागचन्द धोबी जाति धोबी निवासी अलाम्बू तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

श्री सीताराम कुमावत :— अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 स्वयं

आदेश

दिनांक 17/5/23

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कादेडा में पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
280—511	3796/3754	0.97	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.97 हैक्टर	
581—512	3797/3754	0.43	बारानी 3
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.43 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है एवं प्रार्थीगण ही काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। आराजयात के खातेदार फूमा देवी पत्नि लादू व बद्रीलाल पुत्र लादू का स्वर्गवास हो गया है, इनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। प्रार्थीगण ने माह फरवरी 2023 में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार केकड़ी के समक्ष पेश किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई, अतः यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नही करवाई गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 को उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दौराने शिविर स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर कर आदेशिका में नोट अंकित किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रार्थी संख्या 4 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है तथा साथ ही प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पत्रावली में पत्थरगढी किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा कादेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 580–511 में दर्ज खसरा नम्बर 3796/3754 रकबा 0.97 हैक्टर, खाता संख्या नया–पुराना 581–512 में दर्ज खसरा नम्बर 3797/3754 रकबा 0.43 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर कैम्प कादेडा में मजमे आम सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी